

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/हजारीबाग/मेदिनीनगर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रैंची, दिनांक : 14/03/2022

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/हजारीबाग/मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन विभिन्न प्रमंडलों को e-Governance अन्तर्गत Computer एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के क्रय हेतु गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज को रु. 37.349 लाख, कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर को रु. 15.696 लाख तथा आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर को रु. 4.304 लाख अर्थात् कुल रु. 57.349 (संतावन लाख चौतीस हजार नौ सौ मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृति संख्या-33/21-22 प्र.स्वी., दिनांक-02.02.2022 Online A.A-1946/03.02.2022

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 एवं 2 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है।

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	पूर्व का आवंटन (लाख ₹ में)	वर्तमान आवंटन (लाख ₹ में)	कुल आवंटन (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय /80-सामान्य/ 796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोगिता	70-ई-गवर्नेन्स, 07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49S47018079670000759	39.8848	37.349	77.2338
2.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय /80-सामान्य/ 052-मशीनरी एवं उपस्कर	70-ई-गवर्नेन्स, 07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49S47018005270000759	8.00	20.00	28.00
			47.8848	57.349	105.2338

आवंटित राशि -रु. संतावन लाख चौतीस हजार नौ सौ मात्र।

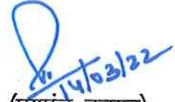
- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट उपबंध (शीर्ष-49S47018079670000759) रु. 95.00 लाख तथा (शीर्ष-49S47018005270000759) रु. 28.00 लाख मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति 33/21-22 प्र.स्वी., दिनांक-02.02.2022 के साथ संलग्न परिशिष्ट-III, IV एवं V के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने प्रक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
- आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 330

रॉची, दिनांक :- 14/03/2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/साहेबगंज/मेदिनीनगर/हजारीबाग/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 330

रॉची, दिनांक :- 14/03/2022

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास, विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 330

दिनांक 14/03/2022

का अनुलनक परिशिष्ट - 1

मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सानान्य

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना,

उप शीर्ष-70-ई-गवर्नेन्स

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय

विपत्र कोड- 49S47018079670000759

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित बजट उपबंध रू. 95.00 लाख।

राशि लाख रुपये में

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मांगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज (SBJARR016)	देवधर	e-Governance के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के मुख्यालय, वेब प्रबंधन कोषांग तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु Computer एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्रय हेतु।	33/21-22 प्र.स्वी, दिनांक-02.02.2022 Online A.A- 1946/03.02.2022	77.937	0.00	0.000	37.349	37.349	37.349	86651	
कुल योग						0.000	0.000	37.349	37.349	37.349		
आवंटित राशि -रू सैतीस लाख चौतीस हजार नौ सौ मात्र।												

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 330

दिनांक 14/03/2022

का अनुलग्नक परिशिष्ट - 2

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष-80-सान्मान्य
लघु शीर्ष-052-मशीनरी एवं उपस्कर
उप शीर्ष-70-ई-गवर्नेन्स
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय
विपत्र कोड- 49S47018005270000759
वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित बजट उपबंध रू. 28.00 लाख।

राशि लाख रुपये में

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर (GRDIRR002)	हजारीबाग	e-Governance के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के मुख्यालय, वेब प्रबंधन कोषांग तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु Computer एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के क्रय हेतु।	33/21-22 प्र.स्वी., दिनांक-02.02.2022 Online A.A- 1946/03.02.2022	77.937	0.00	0.000	15.696	15.696	15.696	86652	
2	आयोजन एवं मोनि0 प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIR007)	मेदिनीनगर					0.000	4.304	4.304	4.304	86653	
कुल योग						0.000	0.000	20.000	20.000	20.000		
आवंटित राशि -रू बीस लाख मात्र।												

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव